न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा।
स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या–503/2026
CNR No.-UPAG01-006049-2026
विजय कुमार अग्रवाल आदि प्रति राज्य एवं अन्य

दिनांकः–09.07.2026

आज यह पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। विगत दिनांक पर स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3ब पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या–1 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक तथा विपक्षी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है, आदेश हेतु पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदकगण की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3ब संक्षेप में इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण व विपक्षी संख्या–2 के मध्य परिवाद संख्या–1495/2022 अच्छा जी प्रति विजय कुमार अग्रवाल विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–05, आगरा में लंबित है। अन्य परिवाद संख्या–166/2020 शिवांग शीत गृह प्रति अच्छा जी, 165/2020 रामवती शीत गृह प्रति अच्छा जी, 169/2020 शिवांग शीत गृह प्रति अच्छा जी, 168/2020 श्री शीत गृह प्रति अच्छा जी व 167/2020 श्री शीत गृह प्रति अच्छा जी न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–09, आगरा में लंबित हैं। पूर्व में आवेदकगण द्वारा उपरोक्त समस्त परिवाद की कार्यवाहियों को एक ही न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने हेतु स्थानांतरण प्रार्थनापत्र संख्या–870/2024 व 950/2025 प्रस्तुत किये गये थे, जिनमें पारित आदेश दिनांकित क्रमशः 24.10.2024 व 12.01.2026 के द्वारा द्वारा समस्त पत्रावलियों को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–09, आगरा में अंतरित किया गया था। उपरोक्त समस्त परिवाद आवेदक संख्या–1/आवेदक संख्या–2 लगायत 4 जो कि आवेदक संख्या–1 की ही अन्य फर्म हैं व विपक्षी संख्या–2 के मध्य लम्बित हैं, न्यायिक क्षेत्राधिकार के वितरण के कारण पुनः अलग–अलग न्यायालयों में स्थानांतरित हो गए हैं। इन तथ्यों के आधार पर उक्त परिवादों को ही एक ही न्यायालय में अंतरित किये जाने की याचना की गई है। समर्थन में शपथपत्र 4ब प्रस्तुत किया गया है।

संबंधित न्यायालयों से उक्त वादों के लम्बित होने के सम्बन्ध में आख्यायें प्राप्त हुयीं हैं।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि पूर्व में स्थानांतरण प्रार्थनापत्र संख्या–870/2024 एवं 950/2025 में पारित आदेश दिनांकित क्रमशः 24.10.2024 तथा 12.01.2026 के माध्यम से पक्षकारों के मध्य लंबित वादों को विचारण हेतु अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–09, आगरा में स्थानांतरित किया गया था। तत्पश्चात न्यायिक क्षेत्राधिकार के वितरण के कारण पुनः भिन्न–भिन्न न्यायालयों में स्थानांतरित किया जाना कहा गया है।

चूंकि पक्षकार मूलतः समान हैं, तथा पूर्व में भी न्यायालय द्वारा समस्त वादों को एक ही न्यायालय में विचारण हेतु स्थानांतरित किये जाने का आदेश पारित किया जा चुका है। अतः उक्त समस्त वादों का एक ही न्यायालय द्वारा विचारण व निस्तारण किया जाना विधितः अपेक्षित है। अतः समस्त तथ्य व परिस्थितियों के दृष्टिगत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3ब स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3ब स्वीकार किया जाता है। परिवाद संख्या–1495/2022 अच्छा जी बनाम विजय कुमार अग्रवाल अन्तर्गत धारा–406 भा0दं0सं0 थाना–खन्दौली, आगरा को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–05, आगरा से वापस लेकर विधिनुसार निस्तारण हेतु न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–09, आगरा में स्थानान्तरित किया जाता है।

यह स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र तद्नुरूप निस्तारित किया जाता है। संबंधित न्यायालयों को सूचित किया जाये।

तदोपरान्त इस स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,
आगरा।

दिनांकः–09.07.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.07.09 16:04:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court